

पक्ष को व्यक्तिगत स्वामी एवं पूर्णतया अधिकारी तथा अपनी ही भांति मालिक काबिज स्वामी व नियमानुसार निर्माण आदि करा लेने के अधिकारी बना दिया है किन्तु केता द्वितीय पक्ष को विकित प्लाट पर रास्ते की तरफ किसी भी सूरत में अन्य निर्माण (गमले, रैम्प, एलिवेशन आदि) नहीं करेंगे अर्थात सड़क की तरफ किसी भी प्रकार का रैम्प एवं एलिवेशन नहीं निकालेंगे व एक गाडी की पार्किंग घर के अंदर बनाना अनिवार्य है व घर के बाहर पार्किंग नहीं होगी। व मकान का भराव सड़क के कोने से 9 inch से ज्यादा नहीं करेंगे। तथा प्लॉट नंबर XX व XX के मुख्य प्रवेश द्वार, ड्राइव वे प्लॉट नंबर XX व XX की मध्य रेखा से मिलकर बनाए जाएंगे जिसकी अधिकतम चौड़ाई 10 फीट होगी MDA में नक्शा स्वीकृत कराने हेतु इसी प्रावधान के तहत नक्शा बनाना अनिवार्य होगा तथा कालोनी में केता महोदय को बुगी व ट्रैक्टर रखने का अधिकार नहीं होगा तथा केता महोदय किसी भी सूरत में अपने प्लाट पर कोई भी पशु नहीं रखेंगे अर्थात कालोनी में कोई भी केता पशुपालन नहीं करेंगे जिससे कालोनी में गन्दगी पर रोकथाम लगी रहे तथा केता महोदय अपने निर्माण के दरवाजे खिडकी नाली व पतनाले व पानी निकासी सब रास्ते की ओर ही रखेगा। प्लाट के दाहिने व बाएं व पीछे की तरफ पार्क स्थित होने पर केता महोदय को दरवाजा, पतनाली रोशनदान आदि लगाने का अधिकार नहीं होगा। विक्रित प्लाट की बाबत आज से पूर्व की जो भी ड्यूज किसी भी प्रकार के होंगे उनको अदा करने का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा। प्लाट उपरोक्त केवल आवासीय प्रयोजन से विक्रय किया गया है, इसमें कोई भी व्यवसायिक गतिविधियां नहीं की जायेंगी अर्थात दुकान आदि का निर्माण नहीं किया जायेगा। केता द्वारा प्लाट उपरोक्त का उपयोग किसी अन्य सम्पत्ति के रास्ते के लिये नहीं किया जा सकेगा। विकेता द्वारा भविष्य में कालोनी का विस्तार किया जाता है तो कालोनी के उक्त वर्णित रास्तों का उपयोग भविष्य में विस्तारित कालोनी के लिये भी किया जा सकेगा जिसमें केता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जायेगी। अब प्रथम पक्ष का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का उक्त विकित प्लाट से शेष नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा। यदि प्रथम पक्ष के किसी सम्बन्ध सहभागी या उत्तराधिकारी के वादवश अथवा आज से पूर्व के किसी वैधानिक दोषवश उक्त विकित प्लाट अथवा उसका कोई अंश केता द्वितीय पक्ष के अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि से निकल जावे या कोई धन केता द्वितीय पक्ष को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये अदा करना पड जाये तो ऐसी प्रत्येक दशा में केता द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी भी दशा हो, क्षति व खर्चा बैनामा मय सूद कानूनी न्यायालय द्वारा वाद व्यय सहित मय हर्जा व खर्चा व लागत निर्माण आदि व अदा किया हुआ धन जिस प्रकार उचित जाने, प्रथम पक्ष व उनके उत्तराधिकारियों की मौजूदा व भविष्य में प्राप्त चल व अचल सम्पत्ति से प्राप्त कर ले। जिसमे प्रथम पक्ष तथा उनके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः यह विक्रय पत्र स्वयं इच्छानुसार स्थिर बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की अवस्था में लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो।

विवरण प्राप्ति विक्रय मूल्य:-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

दिनांक: XX-XX-XXXX (XXXXXXXXXX)

मसविदा: सुनील पाठक, दस्तावेज लेखक सरधना जिला मेरठ।